

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 67/2015 अ०फौ०

संस्थिति दिनांक 26.02.2015

रामकुमार पुत्र मंगली, उम्र 30 वर्ष, जाति बाढई,  
निवासी शंकरपुरा मौ, परगना गोहद जिला भिण्ड  
म०प्र०.....अपीलार्थी/आरोपी

**बनाम**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रतिअपीलार्थी/अभियोगी

---

अपीलार्थी द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

---

न्यायालय कुमारी शैलजा गुप्ता, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक  
प्रकरण क्रमांक 815/2007 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 24-02-2015  
से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 67/2015

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 17-03-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- कुमारी शैलजा गुप्ता के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 815/2007 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र मौ वि० रामकुमार में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 24.02.2015 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 279, 338 भा०दं०वि० के तहत दोषी पाते हुए गुरुत्तर धारा 338 भा०दं०वि० के अपराध में 06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 21.11.2007 को फरियादी रूपसिंह के द्वारा पुलिस थाना मौ आकर जुवानी रिपोर्ट कि वह उक्त दिनांक को करीब पांच बजे शंकरपुरा की तरफ से लेट्रिन होकर आ रहा था।

जैसे ही वह सड़क की पुलिया पर आया तो स्योदा तरफ से एक मोटरसाइकिल राजदूत क्रमांक एम.पी. 30 बी.ए. 0842 का चालक आरोपी रामकुमार बढई तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी जिससे उसे बाएँ पैर की पिंडली में चोट आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अप0क्र0 123/07 धारा 279, 337 भा0दं0वि0 का लेखबद्ध किया गया। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं एक्सरे भी कराया गया। जिस पर से आहत को बाएँ पैर की पिंडली में अस्थिभंग होना पाया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं मोटरसाइकिल राजदूत क्रमांक एम.पी. 30 बी.ए. 0842 को जप्त किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की विवेचना के दौरान धारा 338 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/181 एम.व्ही.एक्ट का इजाफा किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 279, 338 भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध पाए जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 24.02.2015 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही विवेचन न कर दण्डाज्ञा पारित करने में गंभीर भूल की है। प्रकरण में फरियादी रूपसिंह व साक्षी आनंद कुमार घटना 2006 की होना बता रहे हैं, किन्तु एफआईआर के अनुसार घटना 2007 की होना दर्शित होती है तथा फरियादी के द्वारा घटना के समय किसी व्यक्ति के घटना स्थल पर उपस्थित होने के संबंध में नहीं बताया गया है, जबकि न्यायालय में हुए कथन में वह घटनास्थल पर उसके पिता रामरतन एवं भाई आनंद के आने के संबंध में बता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में साक्षियों के कथनों में आए हुए अत्यधिक विरोधाभास होने पर ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधास एवं बिसंगतियाँ आई हैं एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है, इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 24.02.2015 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

### ::- निष्कर्ष के आधार:-

08. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 6 जो कि दिनांक 21.11.2007 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ होना बताया है और जिनके द्वारा आहत रूपसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। आहत के परीक्षण में निम्न चोटें पाई गई हैं— 1. बाएं पैर की बाहरी मेनूलस पर रगड का निशान। 2— बाएं पैर में बीच में एक तिहाई भाग पर 1 गुणा 0.5 से.मी. का रगड का निशान था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि उक्त चोट कडे एवं भौतरी वस्तु से आना संभव थी जो परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट कमांक 1 साधारण प्रकृति की थी एवं चोट कमांक 2 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी के द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. डॉक्टर अमित जैन अ0सा0 1 जिनके द्वारा डॉ० भावीशाह के द्वारा किए गए एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 1 पर हस्ताक्षर को पहचाना है और उनके द्वारा यह बताया गया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट के अनुसार आहत को बाएं टीविया अस्थि के बीच के एक तिहायी भाग में फ्रेक्चर होना पाया गया है।

10. इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्ष्य से आहत रूपसिंह को घटना के पश्चात् बाएं पैर में चोट पाया जाना तथा एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार टीविया हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहत को उक्त चोट एवं अस्थिभंग आरोपी के द्वारा ही वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए फरियादी को उक्त गंभीर उपहति कारित की गई?

11. घटना के आहत/फरियादी रूपसिंह अ0सा0 3 के द्वारा आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि वह आरोपी को पहले से जानता है। वर्ष 2007 के 11 महीने

की घटना है। शाम के पांच बजे का समय था वह लेट्रिन कर के शंकरपुरा से अपने घर की तरफ आ रहा था, पीछे की तरफ से एक मोटरसाइकिल स्योडा की तरफ से आई, मोटरसाइकिल को आरोपी रामकुमार चला रहा था जो कि उक्त मोटरसाइकिल बहुत स्पीड से आ रही थी और उसने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके बाएं पैर में चोट आ गई थी। उसका एक्सीडेंट आरोपी रामकुमार की गलती से हुई था। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई थी वहाँ पर उसके पिता रामरतन व भाई आनंद भी आ गया था। फिर थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाई थी जो रिपोर्ट प्र.पी. 3 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका अस्पताल में इलाज भी हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. उक्त फरियादी के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि उसे टक्कर रोड के किनारे मारी गई थी और उसने आरोपी की गाड़ी को देख लिया था। साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा दिया गया सुझाव कि आरोपी गाड़ी लकर भाग गया था इसलिए वह गाड़ी का नम्बर नहीं देख पाया था, जिस सुझाव को उसके द्वारा स्वीकार किया गया है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि जब उसने रिपोर्ट लिखाई थी तो उसमें किसी साक्षी का नाम उपरोक्त घटना देखने के संबंध में नहीं लिखाया था। घटना के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी आनंद कुमार अ0सा0 4 के द्वारा आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए यह बताया है कि शाम के 5-6 बजे के लगभग की घटना है, वह ग्राम शंकरपुरा के पास दुकान/चक्की पर था और उसने चक्की पर से देखा कि आरोपी रामकुमार स्योडा की तरफ से मोटरसाइकिल जिसका नम्बर एम. पी. 30/842 था और बीच में एम.बी. लिखा था बहुत स्पीड व लापरवाही से डगमगाता हुआ लाया था और रूपसिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसके बाएं पैर में चोट आई थी। घटना के बाद में रिपोर्ट लिखाने के लिए वह रूपसिंह और उसके पिता थाने गए थे। घटना उसके सामने घटित होना और एक्सीडेंट के समय चक्की पर खड़ा होना बता रहा है। घटना की तारीख के संबंध में यद्यपि वह 07.11.2006 तारीख होना अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना कारित करने वाली गाड़ी उन्होंने पकड़ी नहीं थी उसका चालक उसे लेकर भाग गया था। साक्षी को अभियोजन के द्वारा पुनः परीक्षण करने पर घटना की तारीख की स्पष्ट जानकारी न होना बताया है और अंदाज से तारीख लिखवाना अभिकथित किया है। घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामबीर अ0सा0 2 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी पक्षद्रोही रहा है।

13. प्रकरण के विवेचनाधिकारी जगदीश गुप्ता अ0सा0 7 के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 बनाया जाना और उस पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है तथा साक्षी रूपसिंह, रामबीर, आनंद कुमार के कथन लेखबद्ध करना बताया



है। इसके अतिरिक्त दिनांक 02.12.2007 को आरोपी रामकुमार के कब्जे से राजदूत मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 030 बी.ए. 0842 जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 7 तैयार करना बताया है और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 8 तैयार करना बताया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने थाने पर बैठकर कार्यवाही थी। घटना की तारीख महीना और साल साक्षियों के द्वारा बताया गया था।

14. प्रधान आरक्षक गोपालसिंह गुर्जर अ0सा0 5 जिन्होंने कि जप्तशुदा मोटरसाइकिल राजदूत के मैकेनिकल जाँच की है। मैकेनिकल जाँच में मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 बी.ए. 0842 के सभी सिस्टम सही होना पाए थे और वाहन चलाने योग्य था एवं उसमें कोई खराबी न होना बताया है। मैकेनिकल जाँच रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

15. बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी को निर्दोष होना बताते हुए उसे रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया होना अभिकथित किया है। उनके द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया कि घटना दिनांक के संबंध में फरियादी व अन्य साक्षी आनंद कुमार के कथनों में बिसंगतियाँ आई हैं और वास्तव में उक्त दिनांक को ही घटना घटित हुई है यह शंकास्पद है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी साक्षी आनंद कुमार का साक्षी होने का उल्लेख नहीं है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोटरसाइकिल के नम्बर का उल्लेख आया है, जबकि फरियादी उसका नम्बर नहीं बता पाया है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण शंकास्पद होना बताया है।

16. सर्वप्रथम घटनास्थल का जहाँ तक प्रश्न है, फरियादी के द्वारा शंकरपुरा से अपने घर की तरफ आना बताया जा रहा है और प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे रोड के किनारे टक्कर मारी गई थी। इसी प्रकार साक्षी आनंद कुमार भी आरोपी स्योंडा की तरफ से मोटरसाइकिल लेकर आना बता रहा है। घटनास्थल के संबंध में विवेचनाधिकारी जगदीश गुप्ता अ0सा0 7 जिन्होंने कि घटनास्थल का नक्शामौका बनाया है। नक्शामौका प्र.पी. 4 जो कि फरियादी के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से घटनास्थल आम रोड मौ से स्योंडा रोड पर रोड के किनारे में होना स्पष्ट है। इस प्रकार घटनास्थल आम रोड होना प्रमाणित है।

17. घटना में आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाया जाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करने एवं इस प्रकार वाहन चलाकर फरियादी को उपहति कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर फरियादी रूपसिंह अ0सा0 3 के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घटना दिनांक को वाहन मोटरसाइकिल बहुत स्पीड से आ रही थी और उसने उसे टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट से उसके बाएँ पैर फ्रेक्चर हो गया था। साक्षी

के द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था उसे आरोपी ही चला रहा था। इस संबंध में फरियादी के कथन में प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई भी तात्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास अथवा विसंगति नहीं आई है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा आरोपी को उक्त घटना में किसी रंजिश के कारण या अन्य किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण दर्शित नहीं होता है। साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने आरोपी की गाड़ी को देख लिया था और प्रतिरक्षा के द्वारा उसे सुझाव दिया गया है कि गाड़ी का नम्बर उसने इसलिए नहीं देख पाया था, क्योंकि आरोपी गाड़ी लेकर भाग गया था, जिसे कि साक्षी के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त सुझाव भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है जो कि इस बात को स्पष्ट करता है कि घटना दिनांक को आरोपी ही गाड़ी चला रहा था और गाड़ी लेकर के आरोपी भाग गया था। इस परिप्रेक्ष्य में यदि फरियादी के द्वारा गाड़ी का नम्बर न्यायालय में हुए कथनों के दौरान नहीं बताया जा सका है तो उससे कोई विपरीत प्रभाव साक्षी की विश्वसनीयता पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार घटना के फरियादी रूपसिंह का कथन कि घटना दिनांक को उसे मोटरसाइकिल जिसे कि आरोपी चला रहा था और आरोपी के द्वारा स्पीड में मोटरसाइकिल को लाकर उसे टक्कर मारी गई थी और उसकी दुर्घटना कारित हुई थी, उक्त कथन विश्वसनीय होना पाया जाता है।

18. फरियादी/आहत के कथन की पुष्टि अभियोजन साक्षी आनंद कुमार अ0सा0 4 के कथन से भी होती है जो कि घटना दिनांक को चक्की पर से घटना देखना और इस दौरान आरोपी के द्वारा बहुत स्पीड से एवं लापरवाही से डगमगाते हुए मोटरसाइकिल को चलाकर लाना और रूपसिंह को टक्कर मारना जिससे कि उसके बाएं पैर में चोट आना बताया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिन्दु पर उसके साक्षी के कथन अखण्डनीय रहा है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षी के घटनास्थल के पास मौजूद होने और घटना देखने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर होनी नहीं दर्शाई गई है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को अमान्य किये जाने का आधार नहीं हो सकता है। साक्षी के द्वारा आरोपी से किसी रंजिश के कारण या अन्य किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण दर्शित नहीं होता है।

19. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटनास्थल सड़क के किनारे स्थित है जैसा कि फरियादी के कथन से ही स्पष्ट है और इस संबंध में नक्शामौका प्र.पी. 4 में भी घटना स्थल रोड के किनारे होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। ऐसी दशा में जबकि फरियादी रोड के

किनारे पर जा रहा था और आरोपी के द्वारा पीछे से उसे रोड के किनारे आकर टक्कर मारी गई जो कि उक्त परिस्थिति भी इस बात को दर्शाती है कि आरोपी के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाया गया और इसी कारण उसके द्वारा किनारे पर आकर फरियादी/आहत को टक्कर मारी गई जो कि इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है और वर्तमान घटना की परिस्थितियाँ भी इस तथ्य को इंगित करती है कि आरोपी के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाया जा रहा था।

20. घटना दिनांक के संबंध में फरियादी रूपसिंह तथा साक्षी आनंद कुमार के प्रतिपरीक्षण में आई हुई विसंगतियों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना वर्ष 2007 की होनी बताई गई है और घटना के करीब पांच वर्ष से अधिक समय पश्चात् दिनांक 30.01.2013 को उक्त दोनों साक्षियों के कथन हुए हैं। साक्षीगण ग्रामीण परवेश के लोग हैं और उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना की तारीख और सन् बिल्कुल याद रखकर बताए। यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को ही लेखबद्ध कराई गई है जो कि दिनांक 21.11.2007 को घटित होना बताते हुए, उक्त दिनांक 21.11.2007 को ही घटना के करीब दो घण्टे पश्चात् प्र.पी. 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है और आहत का चिकित्सीय परीक्षण भी उसी दिन दिनांक 21.11.2007 को हुआ है। ऐसी दशा में वह प्रतिपरीक्षण के दौरान घटना घटित होने के सन् एवं तारीख के संबंध में साक्षियों के कथनों में ऐसी कोई विसंगति आई भी हो तो इससे सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण की विश्वनीयता प्रभावित नहीं होती है।

21. घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा ही वाहन मोटरसाइकिल को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करने एवं आहत रूपसिंह को चोट पहुँचाए जाने की पुष्टि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के नामजद रूप से थाने में दर्ज कराई गई है के आधार पर भी होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 फरियादी के द्वारा दर्ज कराना प्रमाणित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य किसी प्रकार से प्रतिखण्डित भी नहीं है।

22. घटना दिनांक को आहत रूपसिंह को बाँए पैर में चोट आनी जो कि चोट कड़े एवं भौतरी वस्तु से आनी चिकित्सक साक्षी डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से भी होती है, जिन्होंने कि घटना दिनांक 20.11.2007 को ही उक्त आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया है और उसे एक्सरे हेतु रेफर किया गया है। उक्त चिकित्सक के प्रतिपरीक्षण में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। साक्षी को यद्यपि चोट क्रमांक 1 जो कि बाँए पैर की बाहरी मेनुलम पर रगड़ का निशान है जो किसी ठोस तहत पर गिरने से आना संभव बताया है, किन्तु आहत किसी सतह पर गिरा हो और उसे उक्त रगड़ का निशान आया हो ऐसा कहीं भी साक्ष्य के आधार पर



प्रमाणित नहीं है। उक्त संबंध में चिकित्सक के कथन से कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आहत रूपसिंह को बाईं टीविया अस्थि में अस्थिभंग पाया जाना डॉक्टर अमित जैन अ0सा0 1 के किथन से प्रमाणित है, जो कि एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 1 उनके द्वारा प्रमाणित की गई है।

23. घटना के पश्चात् आरोपी रामकुमार के आधिपत्य से राजदूत मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 030 बी.ए. 0842 की जप्ती जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी जगदीश गुप्ता अ0सा0 7 के द्वारा प्रमाणित की गई। यद्यपि इस संबंध में जप्ती के अन्य साक्षियों के कथन नहीं हैं, किन्तु उक्त जप्ती होने के तथ्य को आरोपी के द्वारा कहीं भी इन्कार नहीं किया गया है। इस प्रकार मोटरसाइकिल की जप्ती का तथ्य भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि करता है। उक्त जप्तशुदा मोटरसाइकिल की मैकेनिकल जाँच जो कि गोपालसिंह गुर्जर अ0सा0 5 के द्वारा की गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई मैकेनिकल खराबी होनी नहीं पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में भी उक्त जप्तशुदा वाहन जिसमें कि कोई मैकेनिकल खराबी नहीं थी उक्त तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की गई।

24. इस प्रकार अभियोजन प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी के द्वारा लोक मार्ग पर वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर फरियादी/आहत रूपसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने का तथ्य विचारण न्यायालय के द्वारा सिद्ध पाया गया है वह प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में उचित रूप से विचार करते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन और विवेचन कर निष्कर्ष निकाला जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी रामकुमार को दोषसिद्ध ठहराने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है। विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध पाए जाने के संबंध में दिया गया आदेश दिनांक 24.02.2015 की पुष्टि की जाती है।

25. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी रामकुमार को धारा 338 भा0दं0वि0 के आरोप हेतु दिया गया 06 माह के कठोर कारावास एवं 1000/- रूपए अर्थदण्ड अति कठोर है। आरोपी का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है, आरोपी नव युवक। उसके द्वारा सन् 2007 से विचारण का सामना किया जा रहा है और लगातार उपस्थित हो रहा है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। वैकल्पिक रूप से यह भी निवेदन किया गया कि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है, इस संबंध में भी विचार



किए जाने का निवेदन किया है।

26. सर्वप्रथम आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपी रामकुमार के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए उन्हें प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है। आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में जो कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए जो कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित कर फरियादी को घोर उपहति कारित की गई, उसे देखते हुए आरोपी को परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

27. जहाँ तक आरोपी रामकुमार को धारा 338 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दिए गए दण्ड का प्रश्न है। आरोपी को उक्त धारा के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड के व्यक्तम में 02 माह के सश्रम कारावास की सजा प्रथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में अपराध की प्रकृति एवं सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को जो दण्ड दिया गया है वह कदापि अनुपातहीन अथवा अधिक होना नहीं कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गए दण्डादेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का भी कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दिए गए दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

28. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 24.02.2015 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

29. आरोपी/अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताए जाने हेतु भेजा जावे।

30. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।  
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)